



HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: BENCH AT INDORE

**FORM - 'D'
REJECTION ORDER**

(See Rule 4(2))

No.RTIA/JR(M)-HCIND/ 1201

Indore, Dated 19.04.2022

प्रेषक :

ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम),
राज्य लोक सूचना अधिकारी,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,
खण्डपीठ, इन्दौर (म.प्र.)

प्रति,

श्री सूरज हटकर C/o. मनोज केवट,
पता-महूगांव तहसील महू (अंबेडकर नगर)
जिला-इन्दौर (म.प्र.)
मोबाईल नंबर-9753949051

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाओं को प्रदान के संबंध में अधिसूचना को संबोधित करने के लिए कृपया आपका आवेदन जो कि हमारे आवक क्रमांक 1222 दिनांक 19/04/2022 के माध्यम से प्राप्त हुआ होकर आई.डी. संख्या 23/2022-2023 दिनांक 19/04/2022 में पंजीकृत है देखें।

आपके द्वारा संदर्भित आवेदन पत्र अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी चाही गयी है:-


1. मुझे मेरे प्रकरण क्रमांक W.P. 3932/2022 में पंजीकृत दिनांक की जानकारी देने का कष्ट करें।
2. मेने प्रकरण में सम्मिलित प्रतिवादियों के नाम की जानकारी देने का कष्ट करें।
3. प्रतिवादियों की उपस्थिति दिनांक वह उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जानकारी देने का कष्ट करें।
4. मेरे प्रकरण क्रमांक W.P. 3932/2022 में आज दिनांक तक किस प्रकार का आदेश व निर्णय लिया गया इसकी जानकारी देने का कष्ट करें।

आपके द्वारा चाही गयी जानकारी निम्नलिखित कारणों से प्रदान नहीं की जा सकती है :-

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 28 (1) के तहत मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के सक्षम प्राधिकारी ने उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश नियम (सूचना का अधिकार) 2006 घटित किया है जिसके नियम 7 (1) के अनुसार एक नागरिक आवेदन को 50/- रु शुल्क का भुगतान गैर न्यायिक स्टाम्प या ट्रेजरी चालान-रूप में तथा फॉर्म "ए" पर आवेदक की स्वयं की साक्षात्कृत तस्वीर चिपकाना आवश्यक है लेकिन आपने फॉर्म नंबर "ए" में आवेदन नहीं प्रस्तुत किया है और आप तस्वीर प्रमाणित करने में भी विफल रहे हैं और 50 रु. का भारतीय गैर-न्यायिक स्टाम्प को संलग्न करने के बजाय आपने भारतीय पोस्टल आर्डर नं. 56F 568050 रु 10/- का प्रस्तुत किया है जो कि मूलतः ही आपको वापिस किया जा रहा है।
2. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकार) नियम 2006 के नियम 3 (2) के अनुसार हर आवेदन केवल सूचना के एक विशेष मद के लिए किया जाएगा जबकि आपके द्वारा एक से अधिक सूचनाएं मांगी गई हैं।
3. The High Court of Madhya Pradesh [Right to Information] Rules, 2006 के नियम 8 (1) के अनुसार लोक सूचना अधिकारी न्यायिक प्रकरणों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिये जबाबदेय नहीं है जो The High Court of Madhya Pradesh Rules, 2008 के Chapter-XVIII अंतर्गत आवेदक द्वारा न्यायालय की प्रतिलिपि शाखा (Copying Section) से प्राप्त की जा सकती हैं।

सूचना अधिनियम 2005 के अधिकार के अनुभाग 19 के अनुसार आप इस आदेश के 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी (प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ) को अपील कर सकते हैं।

संलग्न - रु 10/- का मूल भारतीय पोस्टल
आर्डर नं- 56F 568050.


(राजेश कुमार शर्मा)

लोक सूचना अधिकारी सह ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम),
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर